

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-रौनापारएक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान अबैध असलहों व अबैध शराब की बरामदगी व गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 04.04.2021 को थानाध्यक्ष रौनापार मय हमराह द्वारा करखिया तिराहा ग्राम चालाकपुर पास से समय करीब 06.05 बजे एक नफर अभियुक्त रामाश्रय साहनी पुत्र स्व 0 गौरी साहनी सा0 नेवादाथाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में मु 0अ0सं0 58/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रामाश्रय साहनी पुत्र स्व0 गौरी साहनी सा0 नेवादा, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 58/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष तारकेश्वर राय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 कृपाशंकर सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 कीर्ति कुमार सिंहथाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 4.का0 रमेश कुमार का0 कीर्ति सिंहथाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना दीदारगंज01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थाना बिलरियागंज व उ0नि0 मय हमराह के चौकी क्षेत्र से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन तलाश वांछित अभियुक्त आगामी त्रिस्तरी पंचायत चुनाव ब्लाक मार्टिंगंज का बैरिकेटिंग का भ्रमण करते हु ए ग्राम कादनपुर पहुचे तो मु 0न0 19/12 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)x एसी एटी एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी 1. सुरेश यादव पुत्र शंकर यादव निवासी कादनपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष घर पर मौजूद था मा0 न्यायालय का वारण्ट से अवगत कराते हुए दिनांक 04.04.2021 समय करीब 7.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 19/2012 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 व 3(1)X एसी एटी एक्ट थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:

1. सुरेश यादव पुत्र शंकर यादव निवासी कादनपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 बाँक बहादूर सिंह
2. का0 उमाशंकर पटेल
3. का0 सोनू यादव

थाना बिलरियागंजअवैध एक अदद तमंचा 303 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज द्वारा आज दिनांक 04.04.2021 को मय फोर्स के तहत तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम के दृष्टीगत देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, भ्रमण अगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, विवेचना तलाश वांछित अपराधी क्षेत्र में मामूर होकर जैगहा चौराहा पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बगवार की तरफ से गुलवा नहर पुलिया होते हुए गुलवा गौरी की तरफ आ रहा हैं उसके पास नाजायज असलहा हैं। इस सूचना पर विश्वास करके थानाध्यक्ष मय हमराह व मुखबिर खास के प्रस्थान कर गुलवा गौरी नहर के पास पहुँचे कि एक व्यक्ति बगवार गाँव की तरफ से नहर के रास्ते आता हुआ दिखाई दिया कि मुखबिर खास ने इशारा करके हट बढ़ गया। पुलिस बल द्वारा पैदल आ रहे व्यक्ति को एकवारगी घेरमार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गया तो अपना नाम शहवाज अहमद पुत्र सफीक अहमद निवासी ग्राम नसीरपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष बताया जामा तलाशी में एक अदद तमंचा 303 बोर तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में कागजात तलब

किया गया तो दिखाने से कासिर रहा जिसे कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 01.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया ।  
अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

शहवाज अहमद पुत्र सफीक अहमद निवासी ग्राम नसीरपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ ।

**बरामदगी-**

अवैध एक अदद तमंचा 303 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

- 1-थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 2- उ0नि0 ओम प्रकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 3- का0 धीरज त्रिपाठी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 4- का0 विनय यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 5- का0 रवि प्रभाकर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

**थाना बिलरियागंज**

**अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज द्वारा आज दिनांक 04.04.2021 को मय फोर्स के तहत तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम के दृष्टीगत देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति , भ्रमण अगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, विवेचना तलाश वांछित अपराधी क्षेत्र में मधनापार तिराहे पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि नवी सरवर जो डी-24 गैंग का गैंग लीडर हैं छिही रोड से अण्डाखोर तिराहे की तरफ आ रहा हैं , उसके पास नाजायज चाकू हैं इस सूचना पर विश्वास करके थानाध्यक्ष मय हमराह व मुखबिर खास के प्रस्थान कर अण्डाखोर तिराहा पर पहुँचे कि एक व्यक्ति छिही की तरफ से आता दिखाई दिया कि मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि सामने से पैदल आ रहा व्यक्ति ही नवी सरवर हैं और मुखबिर हट बढ़ गया। पुलिस बल को देखकर संदिग्ध व्यक्ति पीछे मुड़कर तेज कदमों से वापस जाने लगा कि तेजी करके उस व्यक्ति को मय हमराह कर्म0 की मदद से घेरघार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम नवी सरवर पुत्र हाजी जुनैद निवासी ग्राम छिही थाना बिलरियागंज , जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष बताया जामा तलाशी में एक अदद चाकू लोहे की बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में कागजात तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा अपनी गलती का बार- 2 माफी मांगने लगा । जिसे अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधि0 का अपराध बताकर समय करीब 02.00 बजे हिरासत पुलिस लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

नवी सरवर पुत्र हाजी जुनैद निवासी ग्राम छिही थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ ।

**बरामदगी-**

अवैध एक अदद चाकू ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

- 1-थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 2-उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 3- हे0का0 मो0 आफताब खान थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 4- का0 संगम वर्मा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

\*नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल कार्यवाही की गयी है।\*

23 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की